न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 549 सन 2020

अनवान :–

1. चन्दसैन पुत्र आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुगनीदेवी पत्नी आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
2. रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
3. नानकराम पुत्र आदराम जाति जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
4. महेन्द्र पुत्र आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
5. महावीर पुत्र आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
6. मोहरसिह पुत्र आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
7. परमेश्वरी पुत्री आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
8. रामेती पुत्री आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 08/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 163/152 की कुल 1.8260हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 9/9 की कुल 1.0240हैक व चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 9/9 की 1.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मृतक आदराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता आदराम वल्द गंगाराम का देहान्त हो चुका है आदराम वल्द गंगाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 उसके पुत्र /पुत्रीया /पत्नि है जो आदराम वल्द गंगाराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है अर्थात आदराम वल्द गंगाराम के नाम दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्रों के के पक्ष मे त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके एवं उसके पति मृतक आदराम पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज है उसके पति आदराम पुत्र गंगाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो आदराम वल्द गंगाराम के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात आदराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि व उसके पति मृतक आदराम के नाम से दर्ज भूमि में जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने भी वाद भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि को अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 163/152 की कुल 1.8260हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 9/9 की कुल 1.0240हैक व चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 9/9 की 1.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मृतक आदराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता आदराम वल्द गंगाराम का देहान्त हो चुका है आदराम वल्द गंगाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 उसके पुत्र /पुत्रीया /पत्नि है जो आदराम वल्द गंगाराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है अर्थात आदराम वल्द गंगाराम के नाम दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्रों के के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 163/152 की कुल 1.8260हैक भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 9/9 की कुल 1.0240हैक व चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 9/9 की 1.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मृतक आदराम के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत के अनुसार वाद भूमि आदराम पुत्र गंगाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है आराम पुत्र गंगाराम वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पति है एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की माता है वादी के पिता आदराम पुत्र गंगाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित हो चुका है अर्थात मृतक आदराम पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,7 ,8 ने स्वीकार किया जकार निवेदन किया की वाद भूमि में उनका जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयो/पुत्रों वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 7 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 163/152 की कुल 1.8260हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 9/9 की कुल 1.0240हैक व चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 9/9 की 1.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मृतक आदराम के नाम सें दर्ज है मे प्रतिवादी संख्या 1 एवं मृतक आदराम पुत्र गगाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. चन्दसैन पुत्र आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुगनीदेवी पत्नी आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
2. रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
3. नानकराम पुत्र आदराम जाति जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
4. महेन्द्र पुत्र आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
5. महावीर पुत्र आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
6. मोहरसिह पुत्र आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
7. परमेश्वरी पुत्री आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
8. रामेती पुत्री आदराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 549 सन 2020 निर्णय दिनांक– 09/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 163/152 की कुल 1.8260हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 9/9 की कुल 1.0240हैक व चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 9/9 की 1.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मृतक आदराम के नाम सें दर्ज है मे प्रतिवादी संख्या 1 एवं मृतक आदराम पुत्र गगाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)